

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण कमांक 62/2014 वैवाहिक

संस्थापित दिनांक 12.09.2014

प्रदीप कुमार योगी पुत्र श्री अशोक योगी आयु 30
साल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जोगियन का
पुरा (निबरोल) तहसील गोहद जिला भिण्ड
म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती पिकी पुत्री जगदीश गोस्वामी पत्नी प्रदीप
कुमार योगी आयु 27 साल जाति गोस्वामी
निवासी जोगियन का पुरा (निबरोल) तहसील
गोहद हाल निवसी गदाईपुरा मेजर कॉलोनी
बिरला नगर ग्वालियर म0प्र0

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता

अनावेदिका द्वारा श्री रामेन्द्र सिंह कौरव अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 14-12-2016 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है । जिसमें आवेदक के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 18-4-08 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गदाईपुरा ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था । विवाह उपरान्त अनावेदिका आवेदक के साथ ग्राम जोगियन का पुरा (निबरोल) तहसील गोहद में रही। विवाह पश्चात् आवेदक ने पूर्ण रूप से

अपने पति धर्म का पालन किया और हर संभव सुख सुविधाये प्रदान की । आवेदक के संसर्ग से अनावेदिका के दो पुत्र एवं एक पुत्री हुयी जो क्रमशः राज, रिया एवं प्रियांशू उर्फ हर्स हैं । अनावेदिका वर्ष जनवरी, 2014 तक आवेदक के साथ रही। आवेदक व अनावेदिका के विवाह को लगभग 6 वर्ष हो गये हैं, इस बीच उसने अनावेदिका को कोई भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट नहीं दिया है । आवेदक की बिना अनुमति के अनावेदिका कहीं भी चली जाती थी और आवेदक के समझाने पर गृहक्लेश करती थी और कहती थी कि वह ग्वालियर की रहने वाली है उसे आवेदक पसन्द नहीं है वह आवेदक व उसके परिवार को झूठे अपराध में फंसवा देगी। माह जनवरी 2014 में अनावेदिका को उसकी बड़ी बहिन अन्जू व सास कुसमाबाई समस्त सोने चांदी के जेबरात सहित व दोनों पुत्र राज व प्रियांशू उर्फ हर्स को लेकर व दस हजार रुपये नगद लेकर चली गयी और आवेदक की पुत्री रिया को उसके पास ही छोड गयी । उस समय अनावेदिका व उसकी बड़ी बहन ने आश्वासन दिया था कि 15-20 दिन में अनावेदिका को वापिस भेज देंगे । माह मार्च 2014 में जब आवेदक अनावेदिका को लेने गया तो आवेदक की सास ने आवेदक को घर में घुसने नहीं दिया और आवेदक के बार बार मिन्नतें करने के बाद भी पत्नी अनावेदिका से मिलने नहीं दिया और कहा कि मैं अपनी पुत्री को नहीं भेजूंगी।

03. आवेदक ने यह भी बताया गया है कि दिनांक 19-8-14 को आवेदक अपने रिश्तेदारों को लेकर अनावेदिका को लेने ससुराल पहुंचा तो तब आवेदक की सास ने कहा कि अनावेदिका अपनी चाची के यहां है । उसके उपरांत वह अनावेदिका के चाची के यहां गया तो पता चला कि अनावेदिका बहिन ममता अनावेदिका को अपने साथ दिल्ली ले गयी है और अनावेदिका से नहीं मिलने दिया । आवेदक के द्वारा दिल्ली का ममता का पता मांगने पर नहीं दिया तब मजबूर होकर एस0डी0ओ0पी0 गोहद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदिका एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय के परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित हुई और उसने आवेदक के साथ रहने से इन्कार कर दिया । अनावेदिका मायके वालों के वहकावे में आकर बिना किसी युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के पृथक रह रही है जिससे आवेदक अपने पुत्रों के स्नेह से भी बंचित हो गया है । आवेदक एवं अनावेदिका पति पत्नी के रूप में माह मार्च 2014 तक ग्राम जोगियन का पुरा (निवरौल) परगना गोहद में रहे हैं इस कारण इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदिका के द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि उसका विवाह आवेदक के साथ दिनांक 18-4-2008 को हिन्दू विवाह पद्धति से ग्वालियर में सम्पन्न होना तथा आवेदक के मध्य बने संबंधों से दो पुत्र

एवं एक पुत्री उत्पन्न होने के तथ्य को स्वीकार करते हुये आवेदक की याचिका में लिखे अन्य तथ्य को अस्वीकार करते हुये बताया है कि शादी के पश्चात् से ही आवेदक कम दहेज लाने के लिये एवं अनावेदिका का रंग काला होने के कारण अनावेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से निरन्तर प्रताड़ित किया गया, जबकि अनावेदिका ने हमेशा अपने पत्नी धर्म का पालन किया। आवेदक ने अनावेदिका को शारीरिक सुख से बंचित कर दिया तथा उसे जान से मारने का प्रयास भी किया जिससे अनावेदिका बुरी तरह भयभीत हो गयी और मजबूरन उसे अपने मां बाप के साथ रहना पड़ रहा है। आवेदक को शराब पीने और जूआ खेजने की बुरी लत भी लग गयी है। आवेदक अनावेदिका को बचा हुआ खाना, सडा हुआ खाना दिया जाता था इससे कई बार अनावेदिका को भूखे सोना पड़ता था। दिनांक 18-7-14 को आवेदक ने अनावेदिका की बुरी तरह मारपीट कर घर से भगा दिया। आवेदक काफी चालाक किस्म का व्यक्ति है इस कारण उसके द्वारा पूर्व में भी मिथ्या शिकायत कर दी थी ताकि उसे न्यायालय में इसका लाभ प्राप्त हो सके। आवेदक दहेज के लालच में एवं सुन्दर दूसरी पत्नी की चाहत में अनावेदिका को निरन्तर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। दिनांक 18-7-14 को जब आवेदक ने अनावेदिका को मारपीट कर घर से भगाया था तो उस समय उसके साथ दोनों पुत्र राज, प्रियांशू एवं रिया भी साथ में ग्वालियर आ गये थे क्योंकि आवेदक ने उन्हें अपने साथ रखने से इन्कार कर दिया था। दिनांक 8-9-14 को उसके द्वारा प्रधान कुटुम्ब न्यायालय जिला ग्वालियर में आवेदक के विरुद्ध धारा 125 द0प्र0सं0 का प्रकरण प्रस्तुत कराया उसी दिन आवेदक को प्रकरण की जानकारी हो जाने पर वह उसी दिनांक को रात्रि 9 बजे अनावेदिका के घर आया और जबरन रोती हुयी अवस्था में पुत्री रिया को अपने साथ दबाब बनाने के उद्देश्य से ले गया और दिनांक 9-9-14 को अनावेदिका के विरुद्ध असत्य तथ्यों के आधार पर न्यायालय में असत्य प्रकरण पेश कर दिया।

05. अनावेदिका ने अपने जवाब में आगे बताया है कि दिनांक 19-8-14 को आवेदक अनावेदिका के घर नहीं आया था जबकि उक्त दिनांक को अनावेदिका ग्वालियर में ही अपने मां बाप के साथ थी इसी कारण आवेदक को यह पता नहीं था कि दिनांक 19-8-14 को अनावेदिका ग्वालियर में थी या नहीं। एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय गोहद में आवेदक ने अनावेदिका के कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा कर रख लिये थे और अनावेदिका से कहा कि उक्त कागजों पर राजीनामा लिखा जायेगा तथा आवेदक ने कानून की प्रक्रिया का सहारा लेकर उक्त असत्य तथ्यों पर आधारित धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदन पेश कर दिया है। दिनांक 18-7-2014 को आवेदक ने मारपीट कर अनावेदिका

को घर से भगाया था तो अनावेदिका पहने हुये कपड़ों के अलावा कोई सामान नहीं लायी थी। आवेदक ने ऐसा वातावरण निर्मित किया गया जिससे अनावेदिका को जान का खतरा उत्पन्न हो गया जिसकी बजह से वह ग्वालियर में अपने मां बाप के साथ मजबूरन गरीबी हालत में निवास कर रही है। ऐसी दशा में आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है

06. प्रकरण में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं :-

क्र०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के आवेदक के साथ रहने से इंकार किया जा रहा है ?	"हाँ"
2-	क्या आवेदक अनावेदिका से वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का अधिकारी है ?	"हाँ"
3-	सहायता एवं व्यय ?	आवेदन/याचिका स्वीकार कंडिका 19 के अनुसार।

// निष्कर्ष के आधार //

विचारणीय बिन्दु क्र० 1:-

07. आवेदक प्रदीप कुमार योगी का विवाह अनावेदिका श्रीमती पिंगी के साथ सम्पन्न होने का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में अनावेदिका के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि, दिनांक 18-4-2000 को उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार आवेदक के साथ सम्पन्न हुआ था । इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होना उक्त स्वीकारोक्ती के आधार पर प्रमाणित है। विवाह के उपरांत उनके दो पुत्र एवं पुत्री का होना भी अनावेदिका की स्वीकारोक्ति से प्रमाणित है।

08. आवेदक के द्वारा अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि, विवाह के पश्चात् अनावेदिका उसके साथ रही और उनके दो पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ । अनावेदिका को उसके द्वारा अच्छे ढंग से रखा गया और उसे हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की किन्तु अनावेदिका विवाह के 6 माह पश्चात् से आवेदक के साथ दुर्व्यवहार करने लगी और अपनी मर्जी के अनुसार काम करने लगी । उसके द्वारा गृहक्लेश किया जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि वह ग्वालियर में ही रहेगी और आवेदक को धमकी भी जाती रही । जनवरी 2014 में अनावेदिका अपनी मां और बड़ी बहन के साथ दोनों पुत्रों को अपने जेबरात सहित लेकर चली गयी एवं अपनी पुत्री रिया जो कि पांच वर्ष की है उसे छोड़कर चली गयी । उसके पश्चात् मार्च 2014 में अनावेदिका को लेने गया किन्तु अनावेदिका उसके साथ नहीं आयी । अनावेदिका को साथ लाने के लिये उसके द्वारा प्रयास किया गया और परिवार परामर्श केन्द्र में भी आवेदनपत्र पेश किया गया जिसमें अनावेदिका उपस्थित हुयी किन्तु उसने आवेदक के साथ जाने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार अनावेदिका बिना किसी युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के आवेदक से पृथक रह रही है ।

09. अनावेदिका के द्वारा अपने अभिवचन में यह बताया है कि, उसके द्वारा हमेशा पत्नी धर्म का पालन किया गया । स्वयं आवेदक के द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था । आवेदक दहेज के लालच में एवं सुन्दर दूसरी पत्नी की चाहत में अनावेदिका को निरन्तर रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा इस कारण मजबूर होकर वह अपने माता पिता के पास रह रही है । दिनांक 18-4-14 को आवेदक ने स्वयं उसे मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया । उसने कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर में आवेदक के विरुद्ध धारा 125 द0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदनपत्र भरण पोषण वाबत् पेश किया गया है ।

10. इस प्रकार आवेदक के द्वारा अनावेदिका के बिना युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण के उससे पृथक रहना एवं उसका परित्याग करना बताया है । जबकि अनावेदिका के अनुसार आवेदक को उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के कारण वह उसका आवेदक के साथ रह पाना संभव नहीं है जो कि उसका अनावेदक से प्रथक रहने का उचित कारण उसके द्वारा होना बताया गया है । उक्त संबंध में पक्षकारों के द्वारा लिए गए आधारों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना उचित होगा ।

11. आवेदक प्रदीप कुमार आवेदक साक्षी कं01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि विवाह के 6 माह बाद अनावेदिका के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा और अपनी मर्जी के अनुसार कार्य

करना प्रारम्भ कर दिया और यह कहने लगी कि वह ग्वालियर की रहने वाली है गांव में रहना उसे पसन्द नहीं है और उसे धमकी भी देने लगी । जनवरी 2014 में अनावेदिका अपने साथ जेबरात एवं दस हजार रुपये नगदी लेकर के अपनी मां और बहन के साथ मायके चली गयी और अपनी पुत्री कुमारी रिया को जो कि पांच वर्ष की है आवेदक के पास छोड़ गयी । वह अनावेदिका को लेने के लिये गया किन्तु अनावेदिका ने उसके साथ आने से इन्कार कर दिया। मार्च 2014 में फिर वह अनावेदिका को लेने गया तो अनावेदिका और उसके परिवार वालों ने आवेदक को घर में प्रवेश नहीं करने दिया । अनावेदिका को लेने वह पुनः गया तो उसे पता चला कि वह अपनी बहन ममता के यहां चली गयी है । आवेदक के द्वारा यह भी बताया गया कि एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय गोहद के परिवार परामर्श केन्द्र में उसने अनावेदिका को अपने साथ रखने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था इस दौरान भी अनावेदिका ने उसके साथ रहने से इन्कार कर दिया ।

12. उपरोक्त संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी अशोक आ0सा02 जो कि आवेदक का पिता है के द्वारा भी यह बताया गया है कि विवाह के 6 माह पश्चात् से अनावेदिका के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वह मन मानी करने लगी और बिना पूछे कहीं भी जाने लगी और उसके द्वारा गृह क्लेश किया जाने लगा । जनवरी 2014 में उसकी मां एवं बहन उसे ग्वालियर ले गयी थी और उसे 15-20 दिन बाद वापिस भेजने का आश्वासन दिया था किन्तु वह लोटकर नहीं आयी । परिवार परामर्श केन्द्र में भी आवेदक के द्वारा कार्यवाही की गयी थी किन्तु अनावेदिका ने साथ रहने से इन्कार कर दिया । इसी प्रकार का कथन आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामाधार गोस्वामी आ0सा03 के द्वारा भी करते हुए अनावेदिका के लगभग दो वर्ष पूर्व अपनी मां बहन के साथ ग्वालियर चली जाना और लोटकर न आना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि आवेदक अनावेदिका को लेने गया था, किन्तु अनावेदिका उसके साथ नहीं आ रही है।

13. अनावेदिका श्रीमती पिंगी अना0सा0 1 के द्वारा अपने कथन में बताया गया कि विवाह के 6 माह बाद आवेदक के द्वारा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और उसे बचा हुआ एवं सड़ा गला खाना खाने को मजबूर करने लगे फिर भी अनावेदिका उसके साथ रही और अपने धर्मपत्नी का पालन करने लगी और वह लगभग 6 वर्ष तक इस प्रकार का कष्ट सहते हुये उसके साथ रही । दिनांक 18.07.14 को आवेदक के द्वारा उसकी मारपीट कर मात्र एक साड़ी पहने हुई हालत में घर से भगा दिया। आवेदक दहेज की लालच करता है और दूसरी पत्नी की चाहत है इस कारण शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। वह मजबूरीवश अपने माता पिता के यहाँ रह रही है। आवेदक उस पर

दबाव बनाने के उद्देश्य से उसकी पुत्री को भी उसके घर से उठा ले गया। आवेदक उसे लिवाने के लिए कभी उसके यहाँ नहीं आए।

14. आवेदक प्रदीप कुमार आ0सा0 1 के कथन का प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि अनावेदिका की माँ उसे यह कहकर ले गई थी कि उसे लेकर जा रही हूँ 10-15 दिन बाद भेज देंगे। उसके बाद उसने फोन पर भी सम्पर्क किया तो उसने कहा कि 10-15 दिन बाद भेज देंगे। अनावेदक को लेने के लिये मार्च 2014 में उसके मायके गया था, जब वह अनावेदिका को लेने के लिये गया था अनावेदिका की माँ ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया था, उसके बाद वह अपने रिश्तेदारों को लेकर दिनांक 19/08/14 को गया था तो ससुराल वालों ने कहा था कि वह अपनी चाची के यहाँ गई है। साक्षी के द्वारा यह बताया गया कि जब अनावेदिका ने उसके साथ रहने से मना कर दिया था तो उसने परिवार परामर्श केन्द्र में भी कार्यवाही की थी। इस प्रकार आवेदक के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आए हैं, बल्कि मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों की पुष्टि हुई है। आवेदक के द्वारा इस संबंध में किए गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी अशोक योगी आवेदक साक्षी क्र02 तथा रामाधार गोस्वामी आवेदक साक्षी क्र03 के कथनों से भी होती है।

15. अनावेदिका के द्वारा आवेदक से पृथक रहने का कारण उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना और इसी कारण मजबूर होकर अपने माता पिता के यहाँ रहना बताई हैं। अनावेदिका के द्वारा धारा 125 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत उसके द्वारा कार्यवाही करने के कारण आवेदक के द्वारा वर्तमान आवेदनपत्र पेश किया जाना अभिकथित किया है। इस संबंध में यद्यपि अनावेदिका के द्वारा धारा 125 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदनपत्र पेश किये जाने के संबंध में आवेदनपत्र की सत्य प्रतिलिपि एन0ए01 स्वयं अनावेदिका के द्वारा पेश किया गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि अनावेदिका के द्वारा भरण पोषण बाबत जिसमें की पुत्री रिया गोस्वामी भी शामिल हैं के भरण पोषण बाबत आवेदनपत्र पेश किया गया है। जबकि साक्ष्य से स्पष्ट हैं कि कु0रिया वर्तमान में आवेदक के पास रह रही है। मात्र इस आधार पर कि अनावेदिका के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 का पेश किया गया है आवेदक के द्वारा अनावेदिका को परेशान व प्रताड़ित करने के संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

16. अनावेदिका के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि आवेदक ने शादी के दो ढाई महीने के बाद से ही उसकी मारपीट चालू कर दी थी, किन्तु इस संबंध में कोई भी शिकायत अपने घर वालों व पुलिस वालों को नहीं की थी। साक्षी यह भी बता रही है कि

उसका तीसरा बच्चा तीन साल बाद पैदा हुआ था इन तीन सालों में भी उसने अपने घर वालों एवं किसी पुलिस अधिकारी को अपने साथ होने वाली मारपीट की शिकायत नहीं की थी। इस बात को भी अनावेदिका स्वीकार की है कि 05 वर्ष की अवधि के दौरान उसने उसके साथ हुई कूरता की कहीं रिपोर्ट नहीं की। निश्चित तौर से यदि अनावेदिका जो कि विवाह के ढाई महीने पश्चात् ही आवेदक के द्वारा उसे परेशान व प्रताड़ित करने के संबंध में बता रही है, यदि उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित या परेशान किया जा रहा था तो उसके द्वारा इस संबंध में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया गया एवं पुलिस को भी कोई शिकायत क्यों नहीं की है यह विचारणीय है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका-9 में सुझाव दिये जाने पर अनावेदिका इस बात को सही होना बताई है कि आवेदक उसे रखने के लिये तैयार है, किन्तु वह उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। इस संबंध में यद्यपि स्वतः से उसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि आवेदक उसके साथ मारपीट करता है किन्तु इस संबंध में कि आवेदक के द्वारा उसके साथ कभी कोई मारपीट की गई है इस आशय की कोई भी रिपोर्ट व शिकायत कहीं भी नहीं की गई है। ऐसी दशा में उक्त साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि अनावेदिका आवेदक के साथ जाना नहीं चाहती है इस कारण वह आवेदक के द्वारा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान व प्रताड़ित करने वाली बात अभिकथित कर रही है। अनावेदिका को आवेदक के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

17. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से ऐसा कही भी प्रमाणित नहीं होता है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका को शारीरिक व मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा हो और उसकी प्रताड़ना के फलस्वरूप अनावेदिका उससे पृथक् रह रही हों। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह प्रताड़ित होता है कि अनावेदिका के द्वारा स्वतः ही अनावेदक का परित्याग किया गया है और अनावेदक के द्वारा उसे अपने साथ रखने हेतु तैयार होने और उसके द्वारा इस संबंध में प्रयास किये जाने के उपरांत भी वह अनावेदक के साथ नहीं रहना चाहती है और इस प्रकार अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त व पर्याप्त कारण के आवेदक के साथ रहने से इंकार किया जा रहा है। तदनुसार वर्तमान वाद प्रश्न के संबंध में निराकरण करते हुये उत्तर "हाँ" में दिया जा जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2

18. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नि है। यह भी प्रमाणित होना पाया

गया है कि अनावेदिका बिना किसी युक्तियुक्त व प्याप्त कारण के आवेदक के साथ रहने से इंकार किया जा रहा है। अनावेदिका वर्तमान में अपने दोनो पुत्रों सहित अपने मायके में रह रही है जबकि अपनी पुत्री को वह आवेदक के साथ छोड़ गई है। आवेदक अनावेदिका को अपने साथ रखने को तैयार है जैसा कि इस संबंध में अनावेदिका के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ऐसी दशा में जबकि अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नि है उसका कर्तव्य है कि वह अपने पति के साथ रहकर दाम्पत्य संबंधों की स्थापना करें। इस प्रकार आवेदक अनावेदिका से वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का अधिकारी पाया जाता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण का उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क0-3

19. उपरोक्त विवेचना एवं वादप्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता / आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम वास्ते वैवाहिक संबंधों की पुर्नस्थापना किये जाने बाबत् निम्न रूप में स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है:-

- 1- अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह आवेदक के साथ दोनों पुत्रों सहित, तीन माह के अंदर रहने के लिये आकर पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।
- 2- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।
- 3- अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताबिक जो भी कम हो दी जावे। तदनुसार आज्ञा तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड